

2023

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम
हमीद मोहम्मद बनाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

राम पकड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 498/2023
429

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/12/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती हमीद मोहम्मद

पिता श्री नूर मोहम्मद जी भस्वरी मुहम्मद

निवासी- घोसुडा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1437
0.8200

1438 1472
0.9000 0.1800

कुल कीता 03 कुल रकबा 1.9000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम घोसुडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1437, 1438, 1472
0.8200, 0.9000, 0.1800

कुल कीता 03 रकबा 1.9000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रुपये अक्षरे एक हजार पत्थरगढी मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़